तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-1-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते बहस पत्रावली 24-2-21 को पेश हो।	
24-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली 4-3-21 को पेश हो।	
4-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली 5-3-21 को पेश हो।	
5-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली 10-3-21 को पेश हो।	
10-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल [illegible] मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी मांडरी (बूंदी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

22/प्रार्थना पत्र/2018 पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनाकं 21.06.2018 श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

किशनलाल आयु 60 वर्ष आ0 मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति मीना निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) .....प्रार्थी..

बनाम

1 मन्ना लाल आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 रामचरण आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
3 महावीर आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
4 सीताराम आ0 गोविन्दा जाति मीना निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
5 राज0 सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बून्दी (राज0)
6 उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
7 राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

....अप्रार्थीगण....

<u>अन्तर्गत धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 10.03.2021

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट ... पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खेवट खतौनी सं0 नई 9 पुरानी 8 की कृषि भूमि खसरा न0 71 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा न0 125 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा न0 130 रकबा 0.85

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, खसरा 147 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा न0 148 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा न0 157 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा न0 159 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा न0 166 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा न0 183 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा न0 184 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा न0 185 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा न0 186 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, खसरा न0 187 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा न0 188 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा न0 399 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा न0 453 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा न0 456 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा न0 552 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा न0 598 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा न0 649 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा न0 668 रकबा 0.56 हैक्टेयर, कुल किता 21 कुल रकबा 14.16 हैक्टेयर वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जो अप्रार्थी स0 1 लगायत 4 व प्रार्थी के नाम खाते में दर्ज है। अप्रार्थी सं0 4 का हिस्सा 1/2 व प्रार्थी का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 दर्ज है। जिसके पुराने खसरा नं. 42 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 94 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा न 62 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं 107 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 116 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं 296 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 358 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं 363 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं 364 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं 390 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं 222 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं 421 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं 439 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा थे तथा वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नं 479 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं 475 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं 478 रकबा 0.78 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने खसरा नं 570 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा थे। प्रार्थी के पिता मांगीलाल उर्फ मांग्या के दो पुत्र थे। जो कमशः प्रभूलाल, किशन लाल थे मांगीलाल उर्फ माग्या द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि अपने खाते की कृषि भूमि की आय से खरीद की गयी थी, लेकिन रजिस्टर्ड विकय पत्र का पंजीयन प्रभूलाल के नाम करा दिया प्रभूलाल की कोई आय नही थी। प्रतिफल राशि का भुगतान मांगीलाल द्वारा किया गया एवं कब्जा भूमि प्राप्त की गई। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि है। प्रभूलाल का स्वर्गवास मांगीलाल के जीवन मे हो गया था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के मध्य चेत्र सुदी 15 सम्वत 2034 को मांगीलाल द्वारा घरू विभाजन आराजी का बंटवारा कर दिया गया था जिसके अनुसार प्रार्थी के खाते में 32 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि आई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:41 IST
Reason: SelfAttested

अखण्ड अधिकारी
मांडेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वाद विषयक आराजी को बेचान करने अमादा है। अन्त मे प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 4 व 6 एवं 7 के विरूद्ध दिनांक 12.06.2019 और अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व दिनांक 04.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता की आय से कय की गई थी। प्रार्थी के भाई प्रभूलाल की मृत्यु मांगीलाल के जीवन में हो गई थी। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगयात 3 के मध्य मांगीलाल द्वारा पारिवारिक बंटवारा वाद विषयक कृषि भूमि बाबत कर दिया था व प्रार्थी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा था। वाद विषयक आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है या नही यह प्रश्न उभयपक्षों की साक्ष्य पश्चात मूल वाद में तय होना है इस कारण मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है तथा मूल वाद में यह प्रश्न तय किया जाना है कि विवादित आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि होकर प्रार्थी का हित निहित है। पत्रावली पर उपलब्ध पारिवारिक बंटवारा का अवलोकरन किया जाने पर मांगीलाल द्वारा प्रार्थी को कुल 32 बीघा 4 बिस्वा भूमि व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को 32 बीघा 6 बिस्वा भूमि दी गयी थी। ऐसा उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में विचारणीय बिन्दु निहित है जिनका विधिक निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण को [illegible] नही किया जाता तो उनके द्वारा विवादित आराजी का अन्तरण किये जाने पर पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

Scanned by CamScanner

बढ़ जायेगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना व क्षति का सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दौराने वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खेवट खतौनी सं0 नई 9 पुरानी 8 की कृषि भूमि खंसरा न0 71 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा न0 125 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा न0 130 रकबा 0. 85 हैक्टेयर, खसरा 147 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा न0 148 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा न0 157 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा न0 159 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा न0 166 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा न0 183 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा न0 184 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा न0 185 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा न0 186 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, खसरा न0 187 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा न0 188 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा न0 399 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा न0 453 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा न0 456 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा न0 552 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा न0 598 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा न0 649 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा न0 668 रकबा 0.56 हैक्टेयर, कुल किता 21 कुल रकबा 14.16 हैक्टेयर वाके ग्राम खाकटा व वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नं 479 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं 475 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नं 478 रकबा 0.78 हैक्टेयर तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि बाबत मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेगे। मौके की स्थिति में परिवर्तन न तो स्वंय करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner